IJMRSETM

e-ISSN: 2395 - 7639

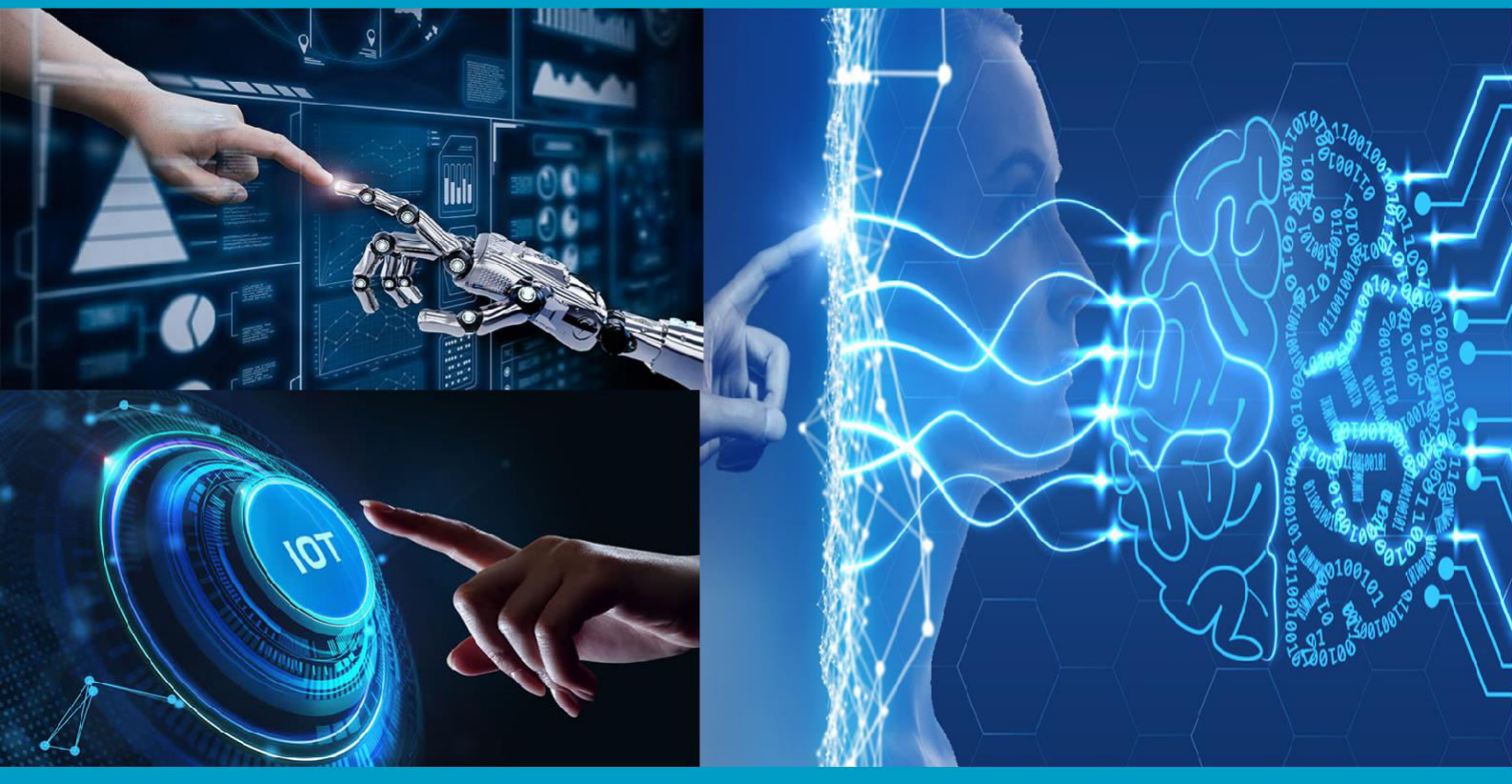

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 10, Issue 2, February 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.580

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 2, February 2023|

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2023.1002005 |

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की बैंकिंग क्षेत्र में भूमिका

Dr. Geeta Nai

Assistant Professor, Dept. of Commerce, J.B. Shah Girls P.G. College, Jhunjhunu, Rajasthan, India

सार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (Micro, Small and medium enterprises) वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन (turnover) भी एक सीमा के अन्दर रहता है। किसी भी देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 अधिनियमित किया था जिसके अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा उन उद्योगों में 'प्लान्ट एवं मशीनरी' में निवेश के अनुसार निर्धारित होती थी। किन्तु 7 अप्रैल,2018 से नई परिभाषा लागू है जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी की बैठक में अंतिम रूप दिया गया था। इस परिवर्तन के बाद अब "प्लांट और मशीनरी" में निवेश की जगह "टर्नओवर" के आधार पर MSMEs वर्गीकरण किया जायेगा। किसी वस्तु के निर्माण अथवा उत्पादन, प्रसंस्करण अथवा परिरक्षण करने वाले उद्यम इस श्रेणी में शामिल किये जाते हैं।

सूक्ष्म उद्योग -- वार्षिक टर्न ओवर रु. 5 करोड़ से कम
लघु उद्योग -- वार्षिक टर्न ओवर रु. 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच
मध्यम उद्योग -- वार्षिक टर्न ओवर रु. 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच
सूक्ष्म उद्योग -- वार्षिक टर्न ओवर रु. 5 करोड़ से कम
लघु उद्योग -- वार्षिक टर्न ओवर रु. 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच
मध्यम उद्योग -- वार्षिक टर्न ओवर रु. 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) ने हमेशा से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में देश में सक्रिय लगभग 6.3 करोड़ MSMEs न सिर्फ देश की जीडीपी में एक बड़ा योगदान देते हैं बल्कि ये एक बड़ी आबादी के लिये रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। गौरतलब है कि यह क्षेत्र लगभग 110 मिलियन रोज़गार उपलब्ध कराने के साथ श्रमिक बाज़ार की स्थिरता में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में सरकार द्वारा वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर विशेष ज़ोर दिये जाने के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक रणनीति की दृष्टि से MSMEs की भूमिका और अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है। MSME क्षेत्र के महत्त्व को देखते हुए वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा अनुमान लगाया गया कि अगले पाँच वर्षों में यह क्षेत्र भारत की आधी जीडीपी और लगभग 50 मिलियन नए रोजगारों के सृजन के लिये उत्तरदायी होगा। हालाँकि COVID-19 महामारी के कारण मांग पक्ष की तरफ और 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) जैसे संरचनात्मक सुधारों के कारण आपूर्ति पक्ष में मंदी के संकेत देखने को मिले थे, इसके साथ ही विमुद्रीकरण के कारण भी MSME क्षेत्र पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सरकार और वर्ल्ड बैंक ने आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग आपात प्रतिक्रिया योजना के लिए 75 करोड़ डॉलर के करार पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य कोविड-19 संकट से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों-एमएसएमई के हाथ में वित्त का प्रवाह बढ़ाने में समर्थन देना है। वर्ल्ड बैंक के इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस श्रेणी के लगभग 15 लाख उद्योगों को त्वरित रूप से तरलता और ऋण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे मौजूदा संकट के बावजूद अपना कार्य करते रहें और उनके द्वारा उपलब्ध लाखों रोजगार सुरक्षित रहें। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आने वाले समय में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यापक सुधारों की दिशा में उठाए गये शुरूआती कदमों में ये एक अहम कदम है।

इस करार पर वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे ने सरकार की तरफ से और कन्ट्री डायरेक्टर जुनैद अहमद ने वर्ल्ड बैंक की तरफ से हस्ताक्षर किए। श्री खरे ने कहा कि कोविड-19 महामारी का एमएसएमई क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। जिससे आजीविकाओं और रोजगार का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों- एन बी एफ सी और बैंकों को लक्षित गारंटी उपलब्ध कराने में सरकार को समर्थन मिलेगा, ताकि इस संकट के दौरान व्यापार करने योग्य एमएसएमई कम्पनियों को अपनी वित्तीय ज़रूरतों के लिए ऋण प्राप्त होता रहे।श्री अहमद ने कहा कि कोविड-19 के बाद भारत की वृद्धि और रोजगार सृजन और आर्थिक विकास की गति बनाए रखने के लिए एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका अहम होगी। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 2, February 2023|

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2023.1002005 |

सरकार द्वारा आर्थिक प्रणाली में डाली जा रही तरलता त्वरित रूप से सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए उपलब्ध हो।

परिचय

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी (Small Industries Development Bank of India) भारत की स्वतंत्र एक वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। यह लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वयन के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है और समग्र देश में इसके कार्यालय हैं।भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) भारत की एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य पुनर्वित्त सुविधाएं और उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है।[1] सिडबी इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के समन्वय का भी कार्य करता है। सिडबी भारत सरकार के वित्तीय सेवाएँ विभाग के तहत काम करता है।अगस्त 2017 से मोहम्मद मुस्तफा सिडबी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हैं। मोहम्मद मुस्तफा भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के अधिकारी हैं।सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई। इसकी स्थापना संबंधी अधिकार-पत्र भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 में सिडबी की परिकल्पना लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास और लघु उद्योग क्षेत्र के उद्योगों को संवर्द्धन व वित्तपोषण अथवा विकास में लगी संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करने और इसके लिए प्रासंगिक मामलों के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई है।सिडबी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित चार अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं में एक है; अन्य तीन आयात-निर्यात बैंक, नाबार्ड और राष्ट्रीय आवास बैंक हैं। ऋण प्रदायगी द्वारा और पुनर्वित्त परिचालन गतिविधियों के माध्यम से ये वित्तीय बाजारों में एक सहायक की भूमिका निभाते हैं और औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।सिडबी फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट के माध्यम से सिडबी, माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के विकास में सक्रिय है और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (एमएफआई) के माध्यम से माइक्रोफाइनेंस प्रदान करने में सहायता करता है।[2] इसका संवर्द्धन और विकास कार्यक्रम ग्रामीण उद्यमों के संवर्द्धन और उद्यमिता विकास पर केंद्रित है।एमएसई क्षेत्र में धन की आपूर्ति को बढ़ाने और उसे समर्थन करने के लिए यह एक पुनर्वित्त कार्यक्रम संचालित करता है जिसे संस्थागत वित्त कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। इस कार्यक्रम के तहत, सिडबी, बैंकों, लघु वित्त बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सावधि ऋण सहायता प्रदान करता है। पुनर्वित्त परिचालन के अलावा, सिडबी सीधे भी एमएसएमई को ऋण देता है।**भारतीय स्टेट बैंक**, सिडबी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत शेयरधारक है जिसके पास 16.73% शेयर हैं। इसके बाद भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम आते हैं।लन्दन की 'दि बैंकर' की हालिया रैंकिंग में सिडबी ने विश्व के 30 सर्वोच्च विकास बैंकों में अपनी जगह बनाए रखी। दि बैंकर, लंदन के मई 2001 अंक के अनुसार पूँजी व आस्तियों की दृष्टि से सिडबी का स्थान 25वाँ था। गौरतलब है कि जर्मनी और चीन की जीडीपी में MSMEs की भागीदारी क्रमशः 55% और 60% है जो इस बात का संकेत है कि भारत को इस क्षेत्र में अभी एक लंबी यात्रा तय करनी है, MSME की प्रगति के मार्ग की प्रमुख बाधाओं में से कुछ निम्नलिखित हैं:[3]

वित्तीय चुनौतियाँ: भारत में MSME क्षेत्र में ऋण आपूर्ति की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस क्षेत्र में उपलब्ध औपचारिक ऋण 16 ट्रिलियन रुपए ही है, जिसके कारण इस क्षेत्र में कुल व्यावहारिक ऋण की ज़रूरत (36 ट्रिलियन रुपए) के सापेक्ष अभी भी लगभग 20 ट्रिलियन रुपए का अंतर बना हुआ है। इसके साथ ही बैंकिंग पहुँच की कमी के कारण भारत में MSMEs को अधिकांशतः 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों' (NBFCs) या सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (MFIs) पर निर्भर रहना पड़ता है। सितंबर 2018 से NBFC क्षेत्र में तरलता की कमी ने MSMEs की वित्तीय चुनौती को और अधिक बढ़ा दिया है। **MSMEs के औपचारीकरण की कमी:** इस क्षेत्र में क्रेडिट गैप का एक प्रमुख कारण MSMEs के बीच औपचारिकता की कमी रही है।देश में सक्रिय कुल MSMEs में से लगभग 86% का पंजीकरण नहीं किया गया है। वर्तमान में भी देश के कुल 6.3 करोड़ MSMEs में से केवल 1.1 करोड़ ही 'वस्तु और सेवा कर' (GST) व्यवस्था के साथ पंजीकृत हैं। इसके साथ ही इन 1.1 करोड़ MSMEs में से आयकर दाखिल करने वालों की संख्या और भी कम है।ऐसे में सीमित उपलब्धता और डेटा पारदर्शिता के अभाव में भारतीय MSME क्षेत्र की ऋण ज़रूरत को पूरा नहीं किया जा सका है।[4]

भारत का MSME क्षेत्र बड़े पैमाने पर पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जो इसकी उत्पादन क्षमता को बाधित करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और अन्य संबंधित प्रौद्योगिकियों (जिसे सामूहिक रूप से औद्योगिक क्रांति 4.0 के रूप में जाना जाता है) का उद्भव संगठित क्षेत्र के उद्यमों की तुलना में MSME के लिये ज़्यादा बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है। **नियामकीय बाधाएँ:** MSMEs के संचालन के लिये बहुत सी सरकारी अनुमतियों और सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिसके लिये उद्यमियों को विभिन्न सरकारी विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नियामकीय जटिलताओं के कारण वर्तमान में भी निर्माण परमिट प्राप्त करना, अनुबंधों को लागू करना, करों का भुगतान, व्यापार शुरू करना और सीमाओं के पार व्यापार करना

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 2, February 2023|

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2023.1002005 |

आदि MSMEs की प्रगति में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। विनियामक जोखिम और नीतिगत अनिश्चितता ने पूर्व में भी निवेशकों के आत्मविश्वास को प्रभावित किया है।**उत्पादन की चुनौतियाँ:** वर्तमान में देश में सक्रिय MSMEs में अधिकांश फर्म सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprises) श्रेणी की हैं।देश का MSME क्षेत्र मुख्य रूप से छोटी और स्थानीय दुकानों की भरमार से बना एक सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र है, ऐसे में उनके व्यापार या उत्पादन को बढ़ाना (विशेषकर वर्तमान वित्तीय चुनौती के बीच) एक बड़ी चुनौती है।इन समस्याओं के कारण भारत के विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटी कंपनियों का उत्पादन बहुत ही कम रहा है।

बॉण्ड मार्केट का विकास करना: हाल के वर्षों में भारतीय बॉण्ड बाज़ार में हुई प्रगति के बीच एसएमई बॉण्ड (SME Bond) को बढ़ावा देने से एमएसएमई की ऋण पूंजी बाज़ारों की भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है।एक तरफ जहाँ SME बॉण्ड को प्रोत्साहित करने से MSMEs को अन्य वित्तीय बिचौलियों की तुलना में कम ब्याज दर का लाभ मिल सकेगा वहीं ये बॉण्ड बाज़ार में काम करने वाले जागरूक और शिक्षित निवेशकों के लिये एक व्यवहार्य उच्च रिटर्न के साधन के रूप में कार्य करेंगे। **स्वतंत्र नियामकीय व्यवस्था:** डेटा अर्थव्यवस्था के बढ़ते महत्त्व को देखते हुए यह बहुत ही आवश्यक हो गया है कि सरकार द्वारा एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जाए जो MSMEs को परामर्श देने के साथ उन्हें इस नई डिजिटल व्यवस्था में आगे बढ़ने में सक्षम बना सके। **श्रम कानूनों में सुधार:** वर्तमान में देश में लागू श्रम कानून MSMEs के विकास के लिये बहुत अनुकूल नहीं हैं। श्रमिक कानूनों में बदलाव किया जाना बहुत ही आवश्यक है, परंतु इसकी संवेदनशीलता की देखते हुए इन कानूनों को MSMEs के लिये विकास-उन्मुख ढाँचा प्रदान करने और श्रमिकों के अधिकारों के संदर्भ में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के बीच सही संतुलन स्थापित करना होगा। **विनियमन में सुधार:** हाल के वर्षों में सरकार द्वारा व्यापार सुगमता पर विशेष ज़ोर दिया गया है परंतु इसी दौरान छोटे व्यवसायों के लिये रिपोर्टिंग, अनुमोदन और अनुपालन आवश्यकता आदि जटिलताएँ बनी हुई हैं। यदि हम सही मायने में चाहते हैं कि MSMEs का देश के आर्थिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप हो, तो इसके लिये MSMEs को वर्तमान जटिलताओं से मुक्त एक ऐसा नियामकीय ढाँचा प्रदान किया जाना बहुत ही आवश्यक है कि जो उनके खिलाफ काम करने के बजाय उनके लिये काम करता हो। [5] MSMEs एक लचीली राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये रीढ़ का कार्य करते हैं। देश के मज़बूत आर्थिक भविष्य के लिये MSMEs के विकास को प्राथमिकता देना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भारत को ऐसे ही और उपायों (विशेषकर वर्तमान परिस्थिति में) को अपनाने की आवश्यकता है। अगला दशक भारत को एक उभरती हुई शक्ति से आगे बढ़ते हुए एक स्थापित आर्थिक महाशक्ति के रूप में बदलने का दशक होगा और इस यात्रा में MSMEs की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होगी। नाबार्ड ने वर्ष 2020-21 के दौरान अल्पावधि और दीर्घावधि वित्तपोषण के लिए बैंकों को क्रमशः ₹1,30,964 करोड़ और ₹92,786 करोड़ संवितरित किए.नाबार्ड पुनर्वित्त के माध्यम से सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उत्पादन, विपणन और अधिप्रापण गतिविधियों के लिए पुनर्वित्त के रूप में ऋण और अग्रिम प्रदान करता है. इसकी चुकौती मांग किए जाने पर अथवा निर्धारित अवधि (अधिकतम 12 महीने) की समाप्ति पर की जाती है. अल्पावधि पुनर्वित्त प्रावधान का मूल प्रयोजन बैंकों के संसाधनों में वृद्धि करना और आधार स्तरीय ऋण प्रवाह को बेहतर करना है.नाबार्ड विभिन्न संस्थाओं को उनके संसाधनों में वृद्धि के लिए दीर्घावधि और अल्पावधि पुनर्वित्त प्रदान करता है ताकि किसानों और ग्रामीण कारीगरों आदि की निवेश संबंधी गतिविधियों को सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान किया जा सकें.[6]

विचार-विमर्श

दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ़) की घोषणा 2016-17 के केंद्रीय बजट में की गई थी. इसका प्रयोजन था दिसंबर 2019 तक 18 राज्यों की 99 चयनित मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को एक अभियान चलाकर तेजी से पूरा करना. इसके बाद भारत सरकार ने एलटीआईएफ के तहत चार अन्य परियोजनाओं के वित्तपोषण का अनुमोदन किया है, नामत: - आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना, बिहार और झारखंड में उत्तर कोयल परियोजना, पंजाब की सरहिंद और राजस्थान फीडर रीलाइनिंग परियोजना, पंजाब में शाहपुर कंडी बांध परियोजना. इन परियोजनाओं के समन्वय और उन्हें पूरा करने में सहयोग प्रदान करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) को नोडल मंत्रालय बनाया गया है. दिसंबर 2019 के बाद और 31 मार्च 2021 तक अथवा योजना को जारी रखने के लिए अनुमति प्रदान की गई है जो भी पहले हो उस अवधि तक भारत सरकार ने एलटीआईएफ़ के अंतर्गत निधीयन की व्यवस्था को अनुमोदन प्रदान किया है. वर्ष 2020-21 के दौरान ₹2,461.84 करोड़ की राशि मंजूर की गई और ₹7761.20 करोड़ की राशि संवितरित की गई थी. 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार एलटीआईएफ़ के अंतर्गत संचयी रूप से ₹84,326.60 करोड़ की राशि मंजूर की गई और ₹52,479.71 करोड़ की राशि जारी की गई.[7]

भारत सरकार ने योजना के अंतर्गत निधियां जारी करने की अवधि 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है.एमएसएमई क्षेत्र में गैर-वित्तीय हस्तक्षेप के एक भाग के रूप में, सिडबी ने अतीत में भी विभिन्न उपाय किए हैं । हाल ही में, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल और क्रेडिट सूचना कंपनी ट्रांसयूनियन सिबिल के सहयोग से सिडबी ने "क्रिसिडेक्स" और "एमएसएमई पल्स" का प्रारम्भ किया है।सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए भारत के पहले सेंटिमेंट सूचकांक क्रिसिडेक्स को क्रिसिल और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह एक समग्र सूचकांक है जो 8 मापदण्डों के प्रसार सूचकांक पर आधारित है और यह 0 (अत्यंत

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 2, February 2023|

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2023.1002005 |

नकारात्मक) से 200 (अत्यंत सकारात्मक) के पैमाने पर एमएसई व्यापार सेंटिमेंट को मापता है। क्रिसिडेक्स का प्रमुख लाभ यह है कि इसकी रीडिंग संभावित विपरीत परिस्थितियों और उत्पादन चक्रों के बदलावों को अंकित करेगी और इस प्रकार यह बाजार क्षमता के सुधार में मदद करेगी। निर्यातकों और आयातकों के सेंटिमेंट को समझकर, यह विदेशी व्यापार पर कार्रवाई योग्य संकेतक भी प्रदान करेगा।देश में एमएसएमई घटक की बारीकी से निगरानी करने के लिए ट्रांसयूनियन सिबिल के सहयोग से सिडबी ने एमएसएमई क्रेडिट गतिविधि पर तिमाही रिपोर्ट "एमएसएमई पल्स" आरम्भ की है।[1]

यह रिपोर्ट भारतीय बैंकिंग प्रणाली में औपचारिक क्रेडिट तक पहुंच रखने वाले और चालू ऋण सुविधा प्राप्त पचास लाख से अधिक सक्रिय एमएसएमई इकाईयों पर किए गए एक अध्ययन पर आधारित है।सिडबी ने एमएसएमई को क्रेडिट और हैंडहोल्डिंग सेवाओं की पहुंच में सुधार के लिए 'उद्यमी मित्र' पोर्टल लॉन्च किया है। उद्यमी इस पोर्टल के माध्यम से पसंदीदा बैंकों का चयन कर आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसी भी बैंक शाखा में जाए बिना उद्यमी, पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं । वे 1 लाख से अधिक बैंक शाखाओं में से किसी को चुन सकते हैं, अपनी आवेदन स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और अनेक ऋण सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा भी है। पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई इकाईयां वित्त प्राप्त करने के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता भी मांग सकती हैं। असेवित और अल्पसेवित एमएसएमई तक उद्यमी मित्र पोर्टल को पहुंचाने के लिए सिडबी ने सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज (सीएससीईजीएस) के साथ एक अनुबंध भी किया है। सीएससीईजीएस इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी (मीटवाई) मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्पेशल पर्पज वेहिकल (एसपीवी) है जो देश के गांवों को विभिन्न डिजिटल गठबंधन सेवाओं के कनेक्ट पॉइंट के रूप में कार्य करता है।सिडबी ने भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए और स्वरोजगार को लोगों को अपनाने को प्रेरित करने के लिए 'स्वावलंबन' एवं 'बेचैन सपनों को पंख' नामक देशव्यापी मुहिम चलाया है ताकि देश में उद्यमों को बढ़ावा मिले और लोग रोजगार मांगने की बजाय रोजगार उत्पन्न करने के लियर उन्मुख होवें। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले 5 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहद जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। एमएसएमई न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजीगत लागत पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपितु ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में भी मदद करते हैं, इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन को कम करते हुए, राष्ट्रीय आय और संपत्ति के अधिक समान वितरण का भरोसा दिलाते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और यह क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत अधिक योगदान देते हैं ।[8]

खादी हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रपिता की शानदार विरासत है। खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) भारत की दो राष्ट्रीय विरासत हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में केवीआई के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि यह बहुत कम प्रति व्यक्ति निवेश पर रोजगार सृजित करता है। केवीआई क्षेत्र न केवल देश के विशाल ग्रामीण क्षेत्रों की संसाधित वस्तुओं की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि ग्रामीण कारीगरों को स्थायी रोजगार भी प्रदान करता है। आज खादी और ग्रामोद्योग उत्कृष्ट, विरासत उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, जो 'देशी' के साथ-साथ नैतिक भी हैं । इसके पास समाज के मध्य और उच्च श्रेणी के संभावित मजबूत ग्राहक भी हैं।[2]

कयर उद्योग कृषि आधारित पारंपरिक उद्योग है, जिसका उद्भव केरल राज्य में हुआ है और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा आदि जैसे अन्य नारियल उत्पादक राज्यों में उगाया जाता है। यह एक है निर्यात उन्मुख उद्योग है और कयर जियोटेक्स्टाइल आदि जैसे तकनीकी हस्तक्षेपों और विविध उत्पादों के माध्यम से मूल्य संवर्धन द्वारा निर्यात को बढ़ाने की अधिक संभावना है। कयर उत्पादों की स्वीकार्यता इसकी 'पर्यावरण अनुकूल' छवि के कारण तेजी से बढ़ी है।[3]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) मौजूदा उद्यमों को सहायता प्रदान करने और नए उद्यमों को प्रोत्साहित करके संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से, खादी, ग्रामोद्योग और कयर उद्योग सहित एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देकर एक जीवंत एमएसएमई क्षेत्र की कल्पना करता है ।[9]

सूक्ष्म; लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 एमएसएमई के साथ-साथ क्षेत्र के कवरेज और निवेश सीमा को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों के समाधान के लिए अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम में इन उद्यमों के विकास के साथ-साथ उनकी प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि की सुविधा है । यह "एंटरप्राइज़" की अवधारणा को पहचान दिलाने के लिए पहले बार कानूनी ढांचा प्रदान करता है जिसमें विनिर्माण और सेवा दोनों इकाइयां शामिल हैं। यह पहली बार मध्यम उद्यमों को परिभाषित करता है और इन उद्यमों के तीन स्तरों, अर्थात् सूक्ष्म, लघु और मध्यम को एकीकृत करने का प्रयास करता है। इस अधिनियम में हितधारकों के सभी वर्गों, विशेष रूप से उद्यमों के तीन वर्गों के संतुलित प्रतिनिधित्व और सलाहकार कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक सलाहकार तंत्र का प्रावधान किया गया है । इन उद्यमों के संवर्धन, विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट निधियों की स्थापना, इस उद्देश्य के लिए योजनाओं / कार्यक्रमों की

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 2, February 2023|

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2023.1002005 |

अधिसूचना, प्रगतिशील ऋण नीतियां और कार्य, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के उत्पादों और सेवाओं को सरकारी खरीद में प्राथमिकता, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देरी से भुगतान की समस्याओं को कम करने के लिए अधिक प्रभावी तंत्र और इन उद्यमों द्वारा व्यवसाय बंद करने के लिए एक योजना का आश्वासन अधिनियम की कुछ अन्य विशेषताएं हैं।[4]

9 मई, 2007 को, भारत सरकार (कार्य आबंटन) के नियम, 1961 में संशोधन के बाद, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) का निर्माण करने के लिए तत्कालीन लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का विलय कर दिया गया था । यह मंत्रालय अब नीतियां तैयार करता है और कार्यक्रमों, परियोजनाओं और योजनाओं को बढ़ावा/सुविधा प्रदान करता है तथा एमएसएमई को सहायता प्रदान करने और उन्हें उचित अनुपात में बढ़ावा देने के लिए और उनके कार्यान्वयन का अनुश्रवण करता है।[10]

एमएसएमई के संवर्धन और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, भारत सरकार, विभिन्न पहल के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। एमएसएमई और उसके संगठनों की भूमिका उद्यमशीलता, रोजगार और आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने और बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के प्रयासों में राज्यों की सहायता करना है। मंत्रालय और उसके संगठनों द्वारा शुरू की गयी योजनाओं/ कार्यक्रमों को ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं i) वित्तीय संस्थानों/ बैंकों से पर्याप्त मात्रा में ऋण का प्रवाह; ii) प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए सहायता; iii) एकीकृत अवसंरचनात्मक सुविधाएं; iv) आधुनिक परीक्षण सुविधाओं और गुणवत्ता प्रमाणन; v) आधुनिक प्रबंधन कार्यों तक पहुंच; vi) उपयुक्त प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से उद्यमिता विकास और कौशल उन्नयन; vii) उत्पाद विकास,डिजाइन हस्तक्षेप और पैकेजिंग के लिए सहायता; viii) कारीगरों और श्रमिकों के कल्याण; ix) घरेलू और निर्यात बाजारों में बेहतर पहुंच के लिए सहायता और x) इकाइयों और उनके समूहों की क्षमता-निर्माण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर-वार उपाय ।[5]

परिणाम

सिडबी ने संबंधित गतिविधियों के लिए कई अन्य संस्थाओं की स्थापना की है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड (एसवीसीएल) - एमएसएमई को उद्यम पूंजी (वीसी) सहायता प्रदान करने के लिए; माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) - देश में वित्त वंचित सूक्ष्म उद्यमों के निधीयन हेतु; एमएसएमई को प्राप्तियों की शीघ्र उगाही में समर्थ बनाने के लिए रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल); स्मेरा रेटिंग्स लिमिटेड (एसएमईआरए) - एमएसएमई की क्रेडिट रेटिंग के लिए, जिसका नाम बदलकर ऐक्रिट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड रखा गया।;इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल) - प्रौद्योगिकी सलाहकार और परामर्श सेवाओं के लिए और• एमएसएमई क्षेत्र में गैर-निष्पादक आस्ति (एनपीए) के त्वरित समाधान के लिए इंडिया एसएमई असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आईसार्क)]।सिडबी एमएसएमई के विकास से जुड़ी भारत सरकार की पहलों का समर्थन करता है व कुछ योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है।एमएसएमई मंत्रालय में लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) प्रभाग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग (एआरआई) प्रभाग नामक दो प्रभाग हैं। एसएमई प्रभाग को अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और तीन राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास/प्रशिक्षण स्वायत्तशासी संगठनों के काम प्रशासन, सतर्कता और प्रशासनिक पर्यवेक्षण का काम सौंपा गया है। प्रभाग अन्य कार्यों के साथ-साथ कार्यनिष्पादन और क्रेडिट रेटिंग से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशिक्षण संस्थान की सहायता के लिए भी जिम्मेदार है। एसएमई प्रभाग कार्यनिष्पादन मॉनिटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) के अंतर्गत मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा वर्ष 2009 में शुरू किए गए परिणाम-फ्रेमवर्क दस्तावेज़ (आरएफडी) तैयार करने और निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है । एआरआई प्रभाग दो सांविधिक निकायों अर्थात खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कयर बोर्ड और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) नामक एक नवनिर्मित संगठन के प्रशासन का काम देखता है । यह प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के कार्यान्वयन पर भी निगरानी रखता है।[6]

एमएसएमई को अवसंरचना और सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए नीतियों और विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का कार्यान्वयन इसके संबद्ध कार्यालयों, अर्थात विकास आयुक्त का कार्यालय (010 डीसी (एमएसएमई)), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी); कयर बोर्ड और तीन प्रशिक्षण संस्थानों, अर्थात राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड़), नोएडा, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद, राष्ट्रीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) गुवाहाटी और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक समिति महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमगिरि), वर्धा ।[7]

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 2, February 2023|

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2023.1002005 |

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की स्थापना सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत की गयी थी । बोर्ड एमएसएमई के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करता है, वर्तमान नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करता है और एमएसएमई की वृद्धि हेतु नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए सरकार को सिफ़ारिश करता है । [8] सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम- विकास संगठन (एमएसएमई-डीओ) के प्रमुख अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) होते हैं। विकास आयुक्त का कार्यालय (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) देश में एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार, समन्वयित, कार्यान्वयन और निगरानी में मंत्रालय की सहायता करता है । इसके अलावा, यह 30 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों-विकास संस्थानों (एमएसएमई-डीआई); 28 एमएसएमई-डीआई-एमएसएमई परीक्षण केंद्र शाखाओं (एमएसएमई-टीसी); 7 एमएसएमई-परीक्षण केन्द्रों (एमएसएमई-टीएस); 2 एमएसएमई प्रशिक्षण संस्थानों (एमएसएमई-टीएलएस); और 1 एमएसएमई-प्रौद्योगिकी विकास केंद्र-हैंड टूल्स (एमएसएमई-टीडीसी-हैंड टूल्स) के अपने नेटवर्क के माध्यम से आम सुविधाएं, तकनीकी सहायता सेवाएं, विपणन सहायता आदि प्रदान करता है । डीसी (एमएसएमई) टूल रूम्स और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (2 फुटवियर प्रशिक्षण संस्थानों सहित) के एक नेटवर्क का भी संचालन करता है, जो सोसायटी अधिनियम के तहत समितियों के रूप में पंजीकृत स्वायत्त निकाय हैं। यह कार्यालय एमएसएमई क्षेत्र के लिए कई योजनाओं का कार्यान्वयन करता है, जिनका विवरण पुस्तिका में यथोचित रूप से शामिल किया गया है । खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) एक विधिविहित संगठन है, जिसकी स्थापना खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) के तहत की गयी है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योगों के संवर्धन और विकास कार्य में लगा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है । आयोग के एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं और 10 अंशकालिक सदस्य होते हैं। केवीआईसी को प्रति व्यक्ति कम निवेश में सतत ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के प्रमुख संगठनों में से एक के रूप में पहचाना गया है। यह रोजगार के अवसरों की तलाश के लिए ग्रामीण जनता के शहरी क्षेत्रों में जाने से रोकने में भी मदद करता है। केवीआईसी के मुख्य कार्य खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन की योजना बनाने, संवर्धन, प्रबंधन और सहायता करना है। इस दिशा में, यह कौशल सुधार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अनुसंधान एवं विकास, विपणन आदि जैसी गतिविधियां चलाता है। केवीआईसी राज्य केवीआई मंडलों, पंजीकृत संस्थाओं और सहकारी समितियों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को समन्वित करता है। इसके अधीन देश के विभिन्न हिस्सों में फैले बड़ी संख्या में उद्योग-विशिष्ट संस्थान हैं ।[9]

निष्कर्ष

सिडबी के कारोबार के दायरे में लघु उद्योग इकाइयाँ समाहित हैं, जो उत्पादन, रोजगार और निर्यात की दृष्टि से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान करती हैं। लघु एवं मध्यम उद्योग ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जिनमें प्लांट व मशीनरी में निवेश 10 करोड़ रुपये से अधिक न हो। ऐसी इकाइयों की संख्या लगभग 31 लाख है जिनमें 1.72 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है और भारत के निर्यात में उनका हिस्सा 36 प्रतिशत तथा औद्योगिक विनिर्माण में 40 प्रतिशत है। साथ ही, सिडबी की सहायता परिवहन, स्वास्थ्य-सेवाओं और पर्यटन क्षेत्र के साथ-साथ ऐसे प्रोफेशनल और स्व-नियोजित व्यक्तियों को भी उपलब्ध है, जो लघु आकार के प्रोफेशनल उद्यम स्थापित करते हैं। कयर बोर्ड, कयर बोर्ड उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 की संख्या 45) के तहत कयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देने और इस पारंपरिक उद्योग में लगे कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए स्थापित एक वैधानिक निकाय है । कयर बोर्ड का एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 39 अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं। कयरउद्योगों के विकास के लिए बोर्ड की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान और विकास गतिविधियां चलाना; निर्यात और कयर तथा कयर उत्पादों की आंतरिक खपत से जुड़े आंकड़े एकत्र करना; नए उत्पादों और डिजाइनों का विकास करना; निर्यात और आंतरिक बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करना; भारत और विदेशों में कयर और कयर उत्पादों का विपणन; उत्पादकों और निर्यातकों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना; उत्पादों के निर्माण के लिए इकाइयों की स्थापना में सहायता करना; भूसी, कयर फाइबर, कयर यार्न और कयर उत्पादों के निर्माताओं के बीच सहकारी संगठनों को बढ़ावा देना; उत्पादकों और निर्माताओं को लाभप्रद प्रतिफल सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं ।

बोर्ड ने कयर उद्योग, जो कि देश में कृषि आधारित प्रमुख ग्रामीण उद्योगों में से एक है, के विभिन्न पहलुओं की अनुसंधान गतिविधियों को चलाने के लिए दो अनुसंधान संस्थानों अर्थात केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई), कलवुर, एलेप्पी और केन्द्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईसीटी), बेंगलूर को उन्नत किया है। कयर उद्योग की दो प्रमुख विशेषताएं इसका निर्यातोन्मुखी होना और कचरे (नारियल की भूसी) से पैसा कमाना हैं।

1. एनएसआईसी की स्थापना 1955 में हुई थी, इसके प्रमुख अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक होते हैं और इसका प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।
2. निगम का मुख्य कार्य आम तौर पर वाणिज्यिक आधार पर, देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विकास को बढ़ावा देना, सहायता

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 2, February 2023|

| DOI: 10.15680/IJMRSETM.2023.1002005 |

करना और पोषित करना है।
3. एनएसआईसी कच्चे माल की खरीद; उत्पाद विपणन; क्रेडिट रेटिंग; प्रौद्योगिकियों के अभिग्रहण; आधुनिक प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने आदि के क्षेत्रों में अपनी अलग-अलग जरूरतों को पूरा करने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता सेवाएं प्रदान करता है ।

एनएसआईसी अपने 9 क्षेत्रीय कार्यालयों, 39 शाखा कार्यालयों, 12 उप-कार्यालयों, 5 तकनीकी सेवा केन्द्रों, 3 तकनीकी सेवा विस्तार केंद्रों, 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों, 23 एनएसआईसी-व्यापारिक विकास विस्तार कार्यालयों और विदेश स्थित 1 कार्यालय के माध्यम से पूरे देश में अपने विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कार्यान्वित करता है।[10]

संदर्भ

1. "Board of Directors". Accessed 9 December 2019.
2. SME toolkit India - अपना उद्योग स्थापित करने एवं उसे चलाने से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी (हिन्दी में)
3. कैसे लगाएँ लघु उद्योग? (गूगल पुस्तक , लेखक - राजेश कुमार व्यास)
4. लघु उद्योग निर्देशिका (गूगल पुस्तक ; लेखक - अवधेश चतुर्वेदी)
5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग आयुक्त (भारत सरकार)
6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान (SIDO)
7. टूल रूम्स के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को प्रोत्साहन
8. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के तकनीकी विकास के लिए नई और नवाचार योजनाएं
9. नवप्रवर्तन: भारतीय सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों का बदलता परिदृश्य
10. डिजाइन क्लीनिक योजना – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Impact Factor: 7.580

INTERNATIONAL JOURNAL
OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

+91 99405 72462 +91 63819 07438 ijmrsetm@gmail.com